।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांकः 2366 / 12 दिनांक, गोपेश्वर, दिसम्बर 07 /2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषयः– **जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 5.00 से स्वर्का बैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होतु हुये बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण 0.595 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

संदर्भः– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून **की पत्र सं0 2229/12–1 दिनांक 27.04.2024.**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से विषयांकित मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मे प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में कतिपय अतिरिक्त सूचना चाही गयी, जिसके अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली द्वारा सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, प्रयोक्ता एजेन्सी एवं इस वन प्रभाग से सम्बन्धित सूचना जो निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	प्रस्ताव में चाही गयी सूचना	आख्या
1.	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या FC-11/43/2021-FC दिनांक 16.01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है।	
	In respect of linear project the stipulated norms of 2% and 0.5% towards the cost of wildlife management plan and soil and moisture conservation plan as provided in the Ministry's guideline dated 08-06-2022 will beproportionate to the extent of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans whichever's is more should be charge from the user agency	प्रस्ताव में पूर्व में वन्यजीव प्रबन्धन योजना में प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से अनुमोदित/हस्ताक्षर कर मृदा जल संरक्षण योजना आपके अनुमोदनार्थ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है महोदय, अनुमोदन उपरान्त एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने की कृपा करे।
	The provisions of wildlife management plan and soil moisture conservation plan shall be approved by the competent authority in the state and accordingly the deficit amount if any from the money already realized from to the tune of 2% and or0.35% of project cost proportionate to the extent of forest land involved shall be paid by the user agency and the same shall be deposited in to the CAMPA account.	
2	प्रश्नगत प्रकरण गैर स्थल विशिष्ठ की श्रेणी (Non Site Specific Category) के अन्तर्गत के अन्तर्गत होने की दशा में कृपया सक्षम स्तर से प्रकरण के सम्बन्ध में Justification भी पोर्टल में अपलोड किया जाय।	उक्त प्रकरण Non Site Specific श्रेणी में नही आता है–Diversion for non-Site Specific projects :- A large number or proposals for diversion of forest land for non-site specific projects like industries, construction residential colonies, institutes, disposal of fly ash, rehabilitation of displaced persons, etc. are received by the Central Government. Attention is drawn to item 1 (iv) and 8 of the From "A" in which the proposal is to be submitted by the State Government. In these columns, justification of locating the project in the forest area giving details of the alternatives examined and reason for their rejection has to be furnished. Normally, there should not be any justification of locating non site- specific projects on forest land. Therefore, the State Government should scrutinize the alternatives in more details and must give complete justification establishing its in - escapability for locating the projects in forest area
3.	प्रस्ताव में existing road से लाभान्वित होने वाले गांव की दूरी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है।	प्रस्ताव में Existing road से लाभान्वित होने वाले गांव स्वर्का रतूड़ा कलाकोट की दूरी का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
4.	प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये निर्देश के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मलवा निस्तारण स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाये कि परियोजना स्थल को उत्सर्जित होने वालों मलवे का तकनीकी एवं सुव्यवस्थित ढ़ग से स्थिरीकरण किया जाये ताकि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सके। प्रभागीय वनाधिकारी मलवा निस्तारण स्थल की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अपनी पूर्ण संस्तुति सहित SIR के साथ प्रस्ताव में संलग्न करते हुये ऑलाईन पार्ट–।। में यथास्थान अपलोड की जाय।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मलवा निस्तारण स्थल का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट पार्ट ।। में अपलोड करते हुए संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
5.	प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रस्तावक विभाग के द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में लगाया जाय कि मलवा निस्तारण स्थल के वृक्षों का पातन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।	मलवा निस्तारण स्थल के वृक्षों का पातन किसी भी दशा में नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है।
6	प्रभागीय वनाधिकारी की SIR में प्रस्ताव का विवरण शामिल करते हुये SIR संलग्न प्रारूप में तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करे।	एस0आई0आर0 में प्रस्ताव का विवरण शामिल करते हुए एस0आई0आर0 संलग्न प्रारूप में तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

7.	प्रस्तावक विभाग को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि पर गंदगी नहीं फेंकी जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
8.	के0एम0एल0 फाइल पर लाभान्वित होने के लिए प्रस्तावित गांव के पास सभी मौजूदा सड़को को चिहित किया जाय। मौजूदा सड़को और प्रस्तावित सड़को को अलग–अलग रंगो से चिह्नित किया जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित गांव के पास सभी मौजूदा सड़को को चिहित कर अलग–अलग रंगो से चिन्हित किया गया है।
9.	डम्पिंग यार्ड को जनोपयोगी कार्यो हेतु उपयोग में लाया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।
10.	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्लोप को बेचेंस में इस प्रकार विभाजित किया जाये की वह Stabilized हो जाये, ताकि भविष्य में उक्त स्थल में पौधा रोपण करने में सुविधा हो।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
11.	पौधा रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इविरोनिमटनल इंजीनियरिंग रिसर्ज इंस्टीटयूट (NEERI) द्वारा विकसित जैव–उर्वरक तकनीक को अपनाया जाय।	प्रभाग द्वारा पौधा रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इविरोनिमटनल इंजीनियरिंग द्वारा विकसित जैव–उर्वरक तकनीकी को अपनाया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न है)(संलग्न–3)
12.	मलवा निस्तारण स्थल को वनीकरण के पारंपरिक तरीको को Vesicular Arbuscular maycorrizare(VAM) और पौधो की जड़ो के साथ साझेदारी से नाइट्रोजन फिकिंसग बैक्टीरिया के उपयोग के साथ पूरक किया जायेगा। ये पौधो की जड़ो पर उगत है और पौधो को तेज गति से पानी और पोषण विशेषकर फास्फोरस प्रदान करते है।	प्रभाग द्वारा उक्त तकनीकी को अपनाया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार। प्रस्ताव की 3 प्रति

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– 2366 / 12-1 **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली को सूचनार्थ प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with OKEN Scanner

Checklist for site inspection by the DFO/CF/CCF/APCCF

Project Name- **Km 5 of Simli Chulakot motar road under Karnprayag assembly constituency in chamoli district. New construction from km 5 to Swarka band to Baniyas the approved road via Harijan Basti Revenue Village.**

Proposal No- FP/UK/ROAD/153238/2022

Sl. No.	Particular	Comments of Inspecting Officer
1.	Extent in Hectares	0.595 Hectare
2.	Location (Lat – Log) of the forest land proposed for diversion.	As per georeference map attached in proposal.
3.	Legal status of the forest land (PF/RF/other types of forest land)	Civil soyam land and Van Panchayat land
4.	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	Yes
5.	Any signs of encroachment.	No
6.	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the User Agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	No
7.	Status of vegetation. Site quality, species composition etc.	Eco Class – V Density – 0.-1-0.3 Tree marked for felling in forest – 20 And nap land -73
8.	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	No
9.	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	No
10.	Current land use is this managed as per prescriptions in the working Plan and if not why?	NA
11.	Importance of the area from historical or religious point of view.	No
12.	Any dependent persons/ families on this land.	No
13.	Any displacement of persons proposed.	No
14.	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected ? Is there any	No

Scanned with OKEN Scanner

	dissenting voice among the persons proposed to be displaced ?	
15.	Compensatory afforestation proposed is on forest or non-forest land. Location of this area, suitability of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current working plan prescription for the area ? Distance of the non – forest land for CA from the nearest forest area. Number of Patches in case the area should be more than to Kms.	Gap filling plantation.
16.	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 Kms. area.	Not is falls in any WLS. The proposed area is 25.3 Km from nearest Kedranath Wildlife Sanctuary.
17.	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribalshave been recognized in this area.	No
18.	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	____
19.	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	No
20.	Alternatives examined by the User Agency in case of non – site specific project	Yes (Copy enclosed)
21.	A certificate by the User Agency that the forest land requested for diversion for non – forestry purpose is bare minimum.	Yes
22.	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	____
23.	Any other issue of significance.	____
24.	Specific recommendations of the DFO with reasons for the approval of the Project	Public welfare.

Signature :

Name : **Sarvesh Kumar**

Designation : **Divisional Forest Officer**

Seal :

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव का नाम जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 5.00 से स्वर्का बैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होतु हुये बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण 0.595 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पौध–रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इविरोनिमटनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टींटयूट (NEERI) द्वारा विकसित जैव–उर्वरक तकनीक को अपनाया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग
Email- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 3960 / PLA दिनांक 30 / 07 / 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः— जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 05 से स्वर्का बैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.598 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/153238/2022)

सन्दर्भः— आपका पत्रांक 372 / 12–1 दिनांक 25.07.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नवत् है–

क.सं.	आपत्तियां	निराकरण
3	प्रस्ताव में Existing road से लाभान्वित होने वाले गांव की दूरी का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।	प्रस्ताव में Existing road से लाभान्वित होने वाले गांव स्वर्का, रतूड़ा व कलाकोट की दूरी का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
5	प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रस्तावित विभाग के द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में लगाया जाय कि मलबा निस्तारण स्थल के वृक्षों का पातन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न।
7.	प्रस्तावक विभाग को एक शपश पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वनभूमि पर गंदगी नहीं फेंकी जायेगी।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। शपथ पत्र संलग्न।
8	के.एम.एल. फाईल पर लाभान्वित होने के लिये प्रस्तावित गांव के पास सभी मौजूदा सड़कों को चिन्हित किया जाय। मौजूदा सड़कों और प्रस्तावित सड़कों को अलग–अलग चिन्हित किया जाय।	पूर्व में अपलोड किये गये के.एम.एल. फाईल पर लाभान्वित होने के लिये प्रस्तावित गांव के पास नजदीकी सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग को बैंगनी कलर से चिन्हित किया गया है।
9.	डम्पिंग यार्ड को जनोपयोगी कार्यों हेतु उपयोग में लाया जायेगा।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न।

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर वनभूमि प्रस्ताव पुनः स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

संलग्नः— प्रमाण पत्र 04 न०।

30/07/24
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

पत्रांक दिनांक / /2024

प्रतिलिपिः— प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रेषक सं. 951
पत्रांक 12-1
दि 07/8/2024

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नामः– जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 5.00 से स्वर्काबैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए बनियास तक नवनिर्माण का कार्य।

प्रस्ताव में Existing road से लाभान्वित होने वाले गांव की दूरी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है। जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 5.00 से स्वर्काबैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए बनियास तक मोटर मार्ग के नव निर्माण में स्र्वका गांव की Existing Road से दूरी 1.50 कि0मी0, रतूडा गांव की दूरी 2.300 कि0मी0 , एवं कलाकोट गांव की दूरी 3.250 कि0मी0 है।

अपर सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. कर्णप्रयाग

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नामः– जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 5.00 से स्वर्काबैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए बनियास तक नवनिर्माण का कार्य।

मलवा निस्तारण हेतु निस्तारण स्थल पर के वृक्षों का पातन न किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है। जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 5.00 से स्वर्काबैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए बनियास तक मोटर मार्ग के नव निर्माण में मलवा निस्तारण हेतु निस्तारण स्थल के वृक्षों का पातन किसी भी दशा मे कदाधि नही किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. कर्णप्रयाग

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नामः– जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 5.00 से स्वर्काबैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए बनियास तक नवनिर्माण का कार्य।

वन भूमि पर गन्दगी न फेंके जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है। जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 5.00 से स्वर्काबैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए बनियास तक मोटर मार्ग के नव निर्माण के दौरान वन भूमि में किसी भी प्रकार की गन्दगी नही फेंकी जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. कर्णप्रयाग

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नामः– जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 5.00 से स्वर्काबैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए बनियास तक नवनिर्माण का कार्य।

मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल पर मलवा डाले जाने के पश्चात समतलीकरण कर जन उपयोगी कार्यों हेतु उपयोग में लाये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है। जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 5.00 से स्वर्काबैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए बनियास तक मोटर मार्ग के नव निर्माण में जो वन भूमि प्रस्तावित की गयी है, उसमें मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात आवश्यकतानुसार समतलीकरण कर जन उपयोगी कार्यों हेतु उपयोग में लाया जाएगा।

अपर सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

Scanned with OKEN Scanner